**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

**(1) प्रकरण संख्या 51/2017 (राजसमन्द डिकी)**

1. श्रीमती पान कंवर पिता नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द धर्मपत्नी कैलाशसिंह जी राजपूत, निवासी निमली, तहसील मारवाड़, जिला पाली (राज. )
2. शम्भुसिंह पिता नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द बविलायत बहन श्रीमती पान कंवर, निवासी निमली, तहसील मारवाड़, जिला पाली (राज.)
3. सुश्री कंचन कंवर पिता नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द बविलायत बहन श्रीमती पान कंवर, निवासी निमली, तहसील मारवाड़, जिला पाली (राज.)
4. सुश्री शोभा कंवर पिता नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द बविलायत बहन श्रीमती पान कंवर, निवासी निमली, तहसील मारवाड़, जिला पाली (राज.)
5. श्रीमती शंकर कंवर पिता मीठूसिंह जी राजपूत, धर्मपत्नी ..... ....., निवासी भाणका, तहसील खिबाणा।

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. पर्वतसिंह पिता कानसिंह जी राजपूत, निवासी देवपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती सूरज कुंवर पत्नी स्वर्गीय नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. वी. पी. सिंह पिता नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

4. बहादुरसिंह पिता गोविन्दसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. जब्बरसिंह पिता गोविन्दसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. नरपतसिंह पिता गोविन्दसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. मानसिंह पिता मीठूसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
8. पूरणसिंह पिता मीठूसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
9. भीमसिंह पिता मीठूसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
10. श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी मीठूसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
11. श्रीमती तेज कंवर पिता नारायणसिंह जी राजपूत धर्मपत्नी राजूसिंह जी, निवासी बाली, तहसील मारवाड़, जिला पाली (राज. )

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री के.एल. चोर्डिया अभिभाषक अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री श्री सी.पी. पुरोहित/पी.सी. पालीवाल अभि. रे.सं.1

———:::———

(2) प्रकरण संख्या 12/2018 (राजसमन्द डिकी)

पर्वतसिंह पिता कानसिंह जी राजपूत, निवासी देवपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपोलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सूरज कुंवर पत्नी स्वर्गीय नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. वी. पी. सिंह पिता नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. शम्भुसिंह पिता नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकाट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. बहादुरसिंह पिता गोविन्दसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. नारायणसिंह पिता गोविन्दसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

5/1. श्रीमती सूरज कुंवर पत्नी स्वर्गीय नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (पत्नी)

5/2. खुमाणसिंह उर्फ वी.पी. सिंह पिता नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (पुत्र)

5/3. शम्भुसिंह पिता नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (पुत्र)

5/4. श्रीमती तेज कंवर पिता नारायणसिंह जी राजपूत धर्मपत्नी राजूसिंह जी, निवासी बाली, तहसील मारवाड़, जिला पाली (पुत्री)

5/5. श्रीमती किश्मत कुंवर पिता नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (पुत्री)

5/6. श्रीमतो कंचन कुंवर पिता नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (पुत्री)

5/7. श्रीमती शोभा कुंवर पिता नारायणसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (पुत्री)

6. जब्बरसिंह पिता गोविन्दसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील दवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

7. नरपतसिंह पिता गोविन्दसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

8. मानसिंह पिता मीठूसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

9. पूरणसिंह पिता मीठूसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

10. भीमसिंह पिता मीठूसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

11. श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी मीठूसिंह जी राजपूत, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

12. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द।

13. सचिव, ग्राम पंचायत गुजरों का बाडिया, ग्राम मालकोट, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री सी.पी. पुरोहित/पी.सी. पालीवाल अभि. अपीलान्ट

2. श्री के.एल. चोर्डिया अभिभाषक रे.सं. 4, 6, 8, 9, 11

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. सं. 12

———:::———

अपीलं अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय व डिकी उपखण्ड अधिकारी,
देवगढ़ दि. 15.09.2016 प्र.सं. 44/16

———/———

निर्णय दिनांक

15—07—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी पर्वतसिंह द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की खरीदशुदा, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नंबर 248 एवं 249 रकबा 1 बीघा ग्राम देवपुरा में स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता मृतक नारायणसिंह व प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के नाम के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पारिवारिक भाई बंटवाड़ में केवल नारायणसिंह के हिस्से में आयी थी एवं नारायणसिंह द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 27–08–1996 को विक्रय ईकरार कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया, जिस पर उसके भाईयों व माता की भी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी है, किन्तु बाद में रजिस्ट्री कराने से इंकार कर दिया। जबकि वादी उक्त भूमि पर क्रय दिनांक से काबिज चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण पिछले 50 वर्षो से गांव देवपुरा में नहीं रहते हैं। अतः वादी को उक्त भूमियों का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादी की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15–09–2016 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपील संख्या 51/2017 श्रीमती पान कुंवर व अन्य द्वारा दिनांक 09–08–2017 को प्रस्तुत की गयी तथा एक अन्य अपील संख्या 12/2018 वादी पर्वतसिंह द्वारा दिनांक 23–02–2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध होकर पक्षकारान एवं विषय वस्तु समान है, किन्तु अलग–अलग पक्षकारों द्वारा कोस अपीलें पेश की गयी हैं। अतः दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अपील संख्या 51/2017 की अपीलान्ट पान कुंवर द्वारा अपील के साथ दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम से अधिशासित होते हैं तथा उक्त भूमियों में उनके जन्म से हित अधिकार निहित हैं, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा उन्हें जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुना गया। अपीलान्टगण रेकार्डेड खातेदार मृतक नारायणसिंह के पुत्र एवं पुत्रियां होने से हितबद्ध, व्यथित एवं आवश्यक पक्षकार हैं, जबकि अधिनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः न्यायहित में उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

दोनों अपीलों के अपीलान्ट द्वारा अपनी–अपनी अपील के साथ धारा 5 मयाद कण्डोन के आवेदन मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये, जिन्हें प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मयाद कण्डोन की गयी तथा प्रकरण के गुणावगुण पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस दोनों अपीलों के अधिवक्तागणों द्वारा अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जहां तक प्रथम अपील संख्या 51/2017 का प्रश्न है, चूंकि विवादित भूमियां अपीलान्टगण के स्वर्गीय पिता नारायणसिंह के सहखातेदारी में दर्ज हैं, जबकि अधिनस्थ न्यायालय मं वे पक्षकार नहीं होने से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है। तद्नुसार प्रथम दृष्टया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

जहां तक द्वितीय अपील संख्या 12/2018 का प्रश्न है, चूंकि प्रथम अपील 51/2017 जो इसी अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, वह स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जा चुकी है, तद्नुसार यह द्वितीय अपील भी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है।

उपरोक्तानुसार उक्त दोनों अपीलं स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–09–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में सहखातेदार मृतक प्रतिवादी संख्या 5 नारायणसिंह के सभी वारिसान को पक्षकारान के रूप में संस्थित कर तथा उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तथा उनकी साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16–09–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ..... .....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....

.....राजमसन्द..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह..... 07.....2016

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03..... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... ..... .<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .. .....<br>4. वकील फीस बाबत .... .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी ..... .....<br>3. इजराय हुक्मनामा . ....<br>4. मेहनताना वकील..... .....<br>मीजान . .... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।